

आदेश

विषय: राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 -- **Knee Joint, Hip Joint and Leg below knee level** के लिये प्रत्यारोपित **Implants** पर व्यय होने वाली राशि के पुनर्मरण हेतु शिथिलीकरण के संबंध में।

राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 में सरकारी कर्मचारी द्वारा कराये गये ऑपरेशन इत्यादि के दौरान **Knee Joint, Hip Joint and Leg below knee level** के लिये प्रत्यारोपित **Implants** पर होने वाले व्यय के पुनर्मरण का प्रावधान नहीं है। इस कारण से राज्य सरकार के पास ऐसे प्रकरणों में व्यय-राशि के पुनर्मरण हेतु शिथिलीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं एवं सभी प्रकरणों में शिथिलीकरण प्रदान कर एक वित्तीय सीमा तक पुनर्मरण की सहमति प्रदान की जाती रही है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सामान्य शिथिलीकरण कर आदेश देती है कि प्राधिकृत चिकित्सक के परामर्श पर करायें गये उपचार के दौरान राज्य के सरकारी अस्पताल अथवा वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में उपचार के दौरान रोगी के शरीर में **Knee Joint, Hip Joint and Leg below knee level** के लिये प्रत्यारोपित **Implants** पर व्यय की गई राशि राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1970 के अन्तर्गत निम्न सीमा तक पुनर्मरण योग्य होगी :-

क्र. सं.	विवरण	पुनर्मरण योग्य राशि
1.	Knee Joint	₹.50,000/-
2.	Hip Joint	₹.35,000/-
3.	Leg below knee level	₹.25,000/-

राजकीय अस्पतालों में इलाज कराने पर उपरोक्त **Implants** का क्रय संबंधित मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी से ही किया जायेगा। मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी स्वयं बाजार से उक्त **Items** क्रय करके उपलब्ध करायेंगी एवं क्रय करने के पश्चात् उन्हें **issue** करेगी। साथ ही संबंधित चिकित्सक द्वारा शरीर में **implanting** (प्रत्यारोपण) का प्रमाणीकरण संबंधित बिल पर किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुभाष गर्ग) 9/11/2006

शासन सचिव - तृतीय, वित्त

RAJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

No. AVVNL/CAO/AAO (F & R)/ F. 1(28)/D: 173 Dated 19-4-2007

1. The Chief Engineer (O&M/Comml.), AVVNL, Ajmer.
2. The Zonal Chief Engineer (UZ)/(JZ), AVVNL, Udaipur/Jhunjhunu.
3. The Dy. Chief Engineer (RPPC), AVVNL, Heerapura, Jaipur.
4. The F.A. & Controller of Accounts, AVVNL, Ajmer.
5. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
6. The Superintending Engineer (Civil/Plan/MB/O&M/PTW), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara / Nagaur/ Udaipur / Chittorgarh/ Banswara / Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar.
7. The Company Secretary, AVVNL, Ajmer.
8. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer
9. The TA to CMD & DCOS, AVVNL, Ajmer.
10. The Dy. Director of Personnel, (AZ/UZ/JJZ), AVVNL, Ajmer/ Udaipur / Jhunjhunu.
11. Sr. Accounts Officer (), AVVNL, _____.
12. The Accounts Officer (O&M / IA / EA & Cash / BUDGET / Acctts.), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara / Nagaur/ Udaipur / Chittorgarh/ Banswara / Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar.
13. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, _____.
14. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
15. The Asstt. Accounts Officer (CPC), AVVNL, Ajmer.
16. The P.A. to Chairman & Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.
17. Office order file / Master file.

By order



(S.M. Mathur)

CHIEF ACCOUNTS OFFICER
AVVNL, AJMER